न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

(1) प्रकरण संख्या 40/2016 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. बापु पिता श्री रूपा, जाति भील, निवासी पड़ौली गोर्वधन, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. कान्तिलाल पिता श्री रूपा, जाति भील, निवासी पड़ौली गोर्वधन, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रमेशचन्द्र पिता श्री हीरा, जाति भील राठौड़, निवासी गांव रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. नारायण पिता श्री हीरा, जाति भील राठौड़, निवासी गांव रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. लक्ष्मण पिता श्री हीरा, जाति भील राठौड़, निवासी गांव रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. राजमल पिता श्री हीरा, जाति भील राठौड़, निवासी गांव रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा।

.....रेस्पोन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 35/2016 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. बापु पिता श्री रूपा, जाति भील, निवासी पड़ौली गोर्वधन, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. कान्तिलाल पिता श्री रूपा, जाति भील, निवासी पड़ौली गोर्वधन, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रमेशचन्द्र पिता श्री हीरा, जाति भील राठौड़, निवासी गांव रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. नारायण पिता श्री हीरा, जाति भील राठौड़, निवासी गांव रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. लक्ष्मण पिता श्री हीरा, जाति भील राठौड़, निवासी गांव रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. राजमल पिता श्री हीरा, जाति भील राठौड़, निवासी गांव रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा।

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0—1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी घाटोल
दिनांक 27–06–2016 प्रकरण संख्या
क्रमशः 5/2010 एवं 27/2006

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1— श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 से 4
3— श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5

———/———

निर्णय **दिनांक 07—02—2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलान्टगण तथा सरकार के विरूद्ध धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात कुल किता 17 रकबा 5.26 हैक्टर भूमि ग्राम पडोली गोवर्धन में स्थित है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2, 1/2 हिस्सा है। अतएवं उक्त भूमि का विधिवत विभाजन करते हुए विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

उपरोक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम प्रतिवादीगण की बहन लाडू का विवाह रूपजी का खेड़ा में हुआ तथा वादीगण वहीं के निवासी हैं तथा पटवारी व अन्य अधिकारियों से मिलकर हमारे खाते की भूमि

में अपना नाम जुड़वा लिया है। वादीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। वादीगण का अपने पैत्रृक गांव में पुश्तैनी खाता है। वादीगण ने बेवजह हमें न्यायालय में घसीटा है, अतएवं वादीगण का वाद खारिज किया जावे तथा हर्जा–खर्चा भी दिलवाया जाये।

प्रकरण में इस वाद संख्या 5/2010 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 27/2006 के साथ समेकित किया गया, जो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

उक्त पूर्ववर्ती वाद संख्या 27/2006 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने धारा 88, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 125, 126, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत वाद वादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी अकेले वादीगण की है। रूपा की मृत्यु 2 वर्ष पूर्व हुई थी और दिनांक 22–01–2005 को रूपा के वादीगण के अलावा अन्य कोई जीवित संतान नहीं थी। इसके बावजूद प्रतिवादीगण ने षड़यंत्र पूर्वक राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों से मिली भगत कर नामान्तरकरण संख्या 95 दिनांक 24–02–2005 खुलवा लिया जो अविधिक है। प्रतिवादीगण का इस भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। अतएवं उनका नाम हटाया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा खण्डन का जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01–02–2009 को प्रकरण में निम्नानुसार 6 तनकियात कायम की :–

1. आया वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम पडोली गोर्धन का खाता नंबर 93 पुराना 104 नया के कुल खेत 17 कुल रकबा 5.26 हैक्टर पर वादी का कब्जा काश्त मौजूद है तथा यह भूमि वादी के खाते में दर्ज है लेकिन प्रतिवादीगण का नाम गलत रूप से खाते में दर्ज हो गया है। अतः प्रतिवादीगण का नाम खाते से हटवाने की वादी पात्रता रखता है ? .....वादी

2. आया वादग्रस्त भूमि का वादीगण लगान अदा करते आ रहे हैं तथा प्रतिवादीगण अलग वंश के होने से खाते में नाम गलत प्रविष्ट हुआ है, जिसे हटाने के वादी अधिकारी हैं ? .....वादी
3. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि के एकमात्र खातेदार होने से प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि में वादी की शान्ति पूर्वक कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न न करे इस आशय की डिक्री जारी कराने के वादी पात्र हैं ? .....वादी
4. आया प्रतिवादीगण पुराना सर्वे नंबर 378, 381, 382, 404, 1295 पर हीरा के वारिस 50 वर्षो से काश्त करते आ रहे हैं एवं उस पर प्रतिवादीगण के मकानात बने हुए हैं एवं मकानों के पट्टे जारी किये हुए हैं एवं खातेदार कृषक होकर काबिज हैं ? .....प्रतिवादी
5. आया प्रतिवादी खातेदार कृषक हैं अतः वाद काबिज खारिज है?...प्रतिवादी
6. दादरसी ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 27/2006 के अवलोकन से यह स्पष्ट आया कि दिनांक 18–05–2011 को वाद संख्या 27/2006 के साथ वाद संख्या 5/2010 को समेकित करते हुए प्रकरण में तनकियात कायम की गयी। अर्थात प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 27/2006 एवं वाद संख्या 5/2010 का संयुक्त निर्णय पारित किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में विचाराधीन थी। इसी दौरान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27–06–2016 को निर्णय पारित करते हुए वाद संख्या 27/006 को खारिज कर दिया तथा वाद संख्या 5/2010 में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 27–06–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 17–08–2016 को अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 5/2010 के विरूद्ध अपील संख्या 40/2016 तथा प्रकरण संख्या 27/2006 के विरूद्ध अपील संख्या 35/2016 प्रस्तुत की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पक्षकारान व विषय वस्तु समान होने से समेकित निर्णय पारित किया है अतएवं हम दोनों अपीलों अपील

संख्या 40/2016 (प्रथम अपील) तथा अपील संख्या 35/2016 (द्वितीय अपील) का निर्णय एक ही आदेश से करना उचित समझते हैं। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल रहे।

दोनों अपीलें अन्दर अवधि होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता ने अपनी उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की दोनों पत्रावलियां तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए दोनों अपीलें स्वीकार करने तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने दोनों अपीलों में समान उजर लेते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन नहीं किया है तथा एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा साक्ष्य भी विधिवत रूप से नहीं ली गयी है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण साक्ष्य वादी में विचाराधीन था। इसी दौरान अधिनस्थ न्यायालय ने यह अंकित किया कि वादीगण बाद तामिल अनुपस्थित। प्रतिवादीगण 1 से 4 (रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4) उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण को सूचना दिये जाने की कोई साक्ष्य रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अर्थात अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 27–06–2016 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा, जिसमें प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात भी कायम की गयी तथा प्रकरण साक्ष्य वादी में विचाराधीन था। प्रकरण में वादी की साक्ष्य लिये बिना तथा प्रतिवादी की

साक्ष्य लिये बिना कायम शुदा तनकियात पर आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध जाकर तथा प्राकृतिक न्याय एवं स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर अत्यन्त सरसरी एवं स्वविवेकी निर्णय पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–06–2016 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारों साक्ष्य लेकर एवं विधिवत सुनवाई का अवसर देकर तनकीवार निर्णय पारित करें। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली में संलग्न की जावे।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 09–04–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 07–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

चुनिया पिता दिपा, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **दिता पिता हड़िया, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**59 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... घाटोल ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....22**.....माह.....**07**.....**2003**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**....माह.....**10**.....सन् **2016** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री दिलीप त्रिवेदी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री नन्दलाल पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–07–2003 यथावत रखी जाती है। .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**22**.....माह.....**10**.....**2016** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।